न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 19/2025 रसद

उचित मूल्य दुकानदार श्रीमति रेखा देवी ग्राम पंचायत उनबडा गांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

.....प्रार्थिया/अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

....अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय अभियोजन संख्या 12/2024 दिनांक 08.08.2024 के तहत

उपस्थित–1. श्री डी0पी0सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सूरज बाई मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 20.02.2026

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 8.8.2024 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी ग्राम पंचायत उनबडा गांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान की अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 66/2006 है। प्रार्थीया ने बिना किसी शिकायत के सन 2006 से ही पहले अपने पति तथा उनकी मृत्यु की पश्चात प्रार्थीया द्वारा ईमानदारी से ग्राम पंचायत उनवडा गांव तहसील बांदीकुई में उपभोक्ताओं को निष्ठपूर्वक रसद सामग्री का वितरण करती रही है। संक्षिप्त हालात यह है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा वितरण में अनियमितता करने एवं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1978 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण अपने आदेश क्रमांक 231 दिनांक 05.04.2024 द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशो तक निलम्बित कर दिया गया था। खाध विभाग मुख्यालय जयपुर द्वारा गठित जॉच दल को प्रार्थीया/अपीलार्थी डीलर की जांच प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया [illegible] तहत खाध विभाग मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.04.2024 व 02.05.2024 [illegible] के उचित मुल्य दुकान की जांच की गई थी। जिला रसद अधिकारी [illegible] पत्र क्रमांक/रसद/अभियोग/2024 /613 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया [illegible] अंकित किया है हालाकि आज दिनांक तक प्रार्थीया/अपीलार्थी को प्राप्त नही [illegible]। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को अपने आदेश द्वारा प्रार्थीया का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना उचित

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

निष्कर्ष एवं कारण के पारित किये नोन स्पीकिंग आदेश द्वारा निरस्त कर दिया जो कि विपक्षीगण का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल है। विवादित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश 1976 के प्रावधान के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजनैतिक कारणो से प्रार्थीया को अनुकम्पा के आधार पर प्राप्त डीलरशीप से हटाने के लिये गाव के कुछ प्रभावशाली लोगो द्वारा झूठी, मनगढन्त एवं बेबुनियाद शिकायते करके दवाब डालकर प्रार्थीया का प्राधिकार पत्र को दिनांक 05.04.2024 को निलम्बित कराया गया था। प्रार्थीया का प्राधिकार पत्र संख्या 66/2006 को दिनांक 05.04.2024 को निलम्बन करने के आदेश 231/2024 प्रार्थीया के नाम से नही किया जाकर प्रार्थीया के मृतक पति श्री गिर्राज प्रसाद गुर्जर 20681 के नाम से निलम्बित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि माननीय जिला रसद अधिकारी के द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन नही किया गया और जल्द बाजी में दवाब के कारण मृतक पति के नाम का प्राधिकार पत्र के निलम्बन का आदेश पारित किया गया है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थीया के पति श्री गिर्राज प्रसाद गुर्जर की दिनांक 23.05.2020 को मृत्यु होने के कारण प्रार्थीया को अनुकम्पा डीलर दिनांक 28.01.2021 को नियुक्त किया गया है। अतः गलत रूप से निरस्त प्राधिकार पत्र का आदेश निरस्तनीय है। उच्च राजनैतिक दवाब के कारण खाध विभाग मुख्यालय जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा परिवादी के प्रभाव में पूर्वागृह पूर्वक जॉच की गई है। जिसमें वस्तुस्थिति को प्रकट नही कर गलत तथ्यों पर जॉच की है। प्रार्थीया/अपीलार्थी की पोस मशीन द्वारा उपभोक्ताओ के मोबाईल नंम्बर पर ओटीपी जाने के बाद उनके द्वारा ओटीपी बताने के बाद उचित मुल्य सामग्री ली गई है। विभाग द्वारा गठित जॉच कमैटी एवं उच्चाधिकारियो द्वारा पोस मशीन की तकनीकि जॉच कराई गई थी। जिसमे कोई त्रुटि नही पाई गई। पोस मशीन आज भी सही रूप से काम कर रही है। जॉच दल द्वारा सही रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। जो संदेहप्रद है, निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक रसद /अभियोग/2024/613 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना निर्णय में अंकित किया है, किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थीया/अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ है। प्रार्थीया/अपीलार्थी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नही गया है। एक तरफा कार्यवाही कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है और विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरित है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय अवैध है जो निरस्तनीय है। प्रार्थीया/अपीलार्थी द्वारा सदेव सभी उपभोक्ताओ को समय समय पर प्राप्त खाध सामग्री का नियमानुसार वितरण किया गया है। सभी उपभोक्ता सदैव सन्तुष्ट रहे है, कभी भी किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत नही रही है। प्रार्थीया/अपीलार्थी विधवा महिला की अनुकम्पा नियुक्त डीलरशीप को हटाने के लिये राजनैतिक और निहित कारणो से कुछ लोगो द्वारा साजिशपूर्वक प्रार्थीया/अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कराया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थीया/अपीलार्थी डीलर के उपर रसद सामग्री की कालाबाजी एवं दुरूपयोग का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि छोटी मोटी तकनीकी अनियमितता के आधार पर डीलर के विरूद्ध मुकदमें दर्ज नहीं किये जावे बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को अत्यधिक कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है जो कि कतई उचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 08.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया/अपीलार्थी का एक मात्र रोजगार की यही दुकान है। प्रार्थीया/अपीलार्थी डीलर पर पूरे परिवार का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

भरण पोषण का दायित्व है एवं प्रार्थीया/ अपीलार्थी डीलर द्वारा गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। उसके बावजूद प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 08.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, दौसा के द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 08.08. 2024 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश पारित करने की कृपा करे, ताकि प्रार्थी/अपीलार्थी को न्याय मिल सके अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी/अपीलार्थी के हक में हो पारित करने की कृपा करें।

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि खाध विभाग द्वारा नियुक्त किये गये संयुक्त जांच दल के द्वारा की गई जांच दिनांक 1.5.2024 को जांच की गई जिसमें जांवच के दौरान पूछताछ करने पर मनीष गुर्जर द्वारा माह फरवरी 2024 में ओ0टी0पी0 के माध्यम से 268 ट्रांजेक्शन द्वारा 48.65 क्विंटल गेहूँ व माह मार्च 2024 में 531 ट्रांजेक्शन 99.30 दक्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग किये जाने के तथ्य स्वयं के बयानों में स्वीकार किये गये है। मनीष गुर्जर द्वारा यह बताया गया है कि श्री अशोक सैनी निवासी सकट तहसील राजगढ हाल ई मित्र संचालक बांदीकुई द्वारा 1200 से 1300 रू0 प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि लेकर 130 क्विंटल गेहूँ उक्त ओ0टी0पी0 ट्रांजेक्शन द्वारा निकाल कर मशीन में स्टॉक कम किया गया है। उक्त अनियमितताओं पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के पति का प्राधिकार पत्र दिनांक 5.4.2024 को निलंबित किया गया है। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा प्रार्थीया को दिनांक 25.7.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थिया के द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थिया का प्राधिकार पत्र दिनांक 8.8.2024 को निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. गंभीर अनियमितताओं की पुष्टिः (खाध विभाग मुख्यालय जयपुर द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर, यह प्रमाणित हुआ है कि उचित मूल्य दुकानदार (पोस संख्या 20681) द्वारा माह फरवरी 2024 में 268 और मार्च 2024 में 531, कुल 799 फर्जी ट्रांजेक्शन किए गए। इन फर्जी ट्रांजेक्शन के माध्यम से फरवरी माह में 48.65 क्विंटल और मार्च 2024 में 99.30 क्विंटल, यानी कुल 147.95 क्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग (गबन) किया गया।

7. दोष स्वीकारोक्ति एवं कार्यप्रणालीः अपीलार्थी के पुत्र और दुकान संचालक मनीष गुर्जर ने स्वयं पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि उक्त 147.95 क्विंटल गेहूँ का दुरूपयोग ओटीपी ट्रांजेक्शन द्वारा किया गया। मनीष गुर्जर ने यह भी स्वीकार किया कि ई–मित्र संचालक अशोक सैनी ने ₹1200 से ₹1300 प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि लेकर 130 क्विंटल गेहूँ अवैध ट्रांजेक्शन द्वारा निकालकर स्टॉक कम किया। यह कार्य जनआधार ओटीपी को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पूर्व हैक कर, बिना भौतिक रूप से गेहूँ दिए, अवैध ट्रांजेक्शन द्वारा राशन सामग्री के गबन को दर्शाता है।

8. विधि का उल्लंघनः उक्त कृत्य "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा पीडीएस [illegible] 2015 के प्रावधानों का स्पष्ट एवं गंभीर उल्लंघन है। यह आवश्यक [illegible] क्राइम हेतु आई.टी. एक्ट, 2000 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

9. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांतः अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और एकतरफा कार्यवाही हुई, रिकार्ड के अवलोकन से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस पत्रांक/रसद/अभियोग/2024/613 दिनांक 25.07.2024

जिला कलेक्टर, दौसा

को जारी किया गया था। डीलर रेखा गुर्जर द्वारा इस नोटिस का कोई जवाब पेश नहीं किया गया और वह न्यायालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु भी अनुपस्थित रहीं। नोटिस डाक द्वारा डीलर को प्रेषित किया गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, डीलर द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि डीलर ने स्वयं सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाया।

10. निष्कर्षः प्रकरण में 147.95 क्विंटल गेहूँ का गंभीर गबन सिद्ध होता है, जिसकी पुष्टि दुकान संचालक मनीष गुर्जर के स्वयं के बयानों से भी होती है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, दौसा का दिनांक 08.08.2024 का निर्णय, जो गंभीर अनियमितताओं और डीलर द्वारा सुनवाई के अवसर का लाभ न उठाने पर आधारित है, तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है और पुष्टि किए जाने योग्य है।

11. आदेश (Operative Order):– उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता हैः

अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा अभियोजन संख्या 12/2024 में दिनांक 08.08.2024 को पारित निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है। तदनुसार, जिला रसद अधिकारी का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा, जिसके तहत श्रीमति रेखा देवी गुर्जर (पोस संख्या 20681), उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है. एवं उचित मूल्य दुकानदार की □1000/– (एक हजार रुपये) जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई है। गबन के संबंध में क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2024 को थाना बांदीकुई में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या 0294 (जो रेखा देवी गुर्जर के विरुद्ध है) पर विधिक कार्यवाही जारी रहेगी. अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested